सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

22 अग्रहायण, 1944 (श०)

संख्या – 588 राँची, मंगलवार, 13 दिसम्बर, 2022 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

4 नवम्बर, 2022

संख्या-5/आरोप-1-59/2015-17927 (HRMS)--श्री प्यारे लाल, झा०प्र०से० (तृतीय बैच, गृह जिला-रामगढ़), तत्कालीन अंचल अधिकारी, बड़कागाँव के विरूद्ध उपायुक्त, हजारीबाग के पत्रांक-1370/स्था०, दिनांक 11.11.2017 द्वारा प्रपत्र-'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें इनके विरूद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किया गया-

1. अंचल अधिकारी, बड़कागांव, हजारीबाग के पद पर पदस्थापित रहने के दौरान वर्ष 2015 में दिनांक-05.07.2015 को रात्रि 11.27 बजे प्रखण्ड मुख्यालय का तत्कालीन उपायुक्त, हजारीबाग के द्वारा औचक निरीक्षण में श्री प्यारे लाल, तत्कालीन अंचल अधिकारी, बड़कागांव, हजारीबाग एवं अन्य कार्यालय कर्मी मुख्यालय से अनुपस्थित पाये गये ।

2. तत्कालीन उपायुक्त, हजारीबाग के द्वारा औचक निरीक्षण में अनुपस्थित पाये जाने के कारण पूछे गये स्पष्टीकरण के आलोक में इनके द्वारा स्वयं एवं कार्यालय कर्मी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण अंसतोषजनक एवं भ्रामक पाया गया ।

3. बड़कागांव अंचल में तत्कालीन समय में एन०टी०पी०सी० के महत्वपूर्ण परियोजना का उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाना था। एन०टी०पी०सी० परियोजना से संबंधित कर्यो के लिए समय-समय पर अंचल अधिकारी, बड़कागांव को निदेश दिये गये परन्तु निदेशों का अनुपालन इनके द्वारा नहीं किया गया। एन०टी०पी०सी० के परियोजना में पूर्व में कार्य प्रारम्भ नहीं होने के कारण भी एन०टी०पी०सी० के अधिकारियों ने अंचल अधिकारी, बड़कागांव को ही दोषी बताते हुए इनके कार्यकलाप पर प्रश्नचिन्ह लगाया है ।

साथ ही ग्रामीण रैयतों ने तत्कालीन उपायुक्त, हजारीबाग एवं माननीय केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री, भारत सरकार को भी शिकायतें की है, कि इनके द्वारा कार्य नहीं किया जाता है एवं परेशान किया जाता है। इस संबंध में माननीय वित्त राज्य मंत्री ने भी इनके कार्यकलाप को संदिग्ध बताया है। इनके उक्त कार्यकलाप से स्पष्ट है कि महत्वपूर्ण परियोजना का कार्य विलम्ब से प्रारंभ कराने के कारण इनकी भूमिका संदिग्ध रही है ।

4. अंचल अधिकारी, बड़कागांव, हजारीबाग द्वारा दिनांक-26.06.2015 को गैरमजरूआ खास भूमि की विवरणी में 51-100 एकड़ श्रेणी में शून्य प्रतिवेदन दिया गया था जबकि दिनांक-27.06.2015 को उनके द्वारा 51-100 एकड़ श्रेणी की भूमि के संबंध में रकबा 888.28 एकड़ प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि इनके द्वारा गलत, भ्रामक एवं स्वेच्छापूर्ण प्रतिवेदन समर्पित किया गया। अतः उच्चाधिकारी के आदेश/निदेश की अवहेलना करने, मुख्यालय से स्वयं अनुपस्थित रहना एवं अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों/कर्मियों के मुख्यालय में आवासन नहीं करने पर नियमानुकूल कार्रवाई न करना, सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में असहयोगात्मक रवैया अपनाना, अपने क्षेत्र के रैयतों को सहयोग न कर परेशान करना, राजस्व संबंधी गलत, भ्रामक एवं स्वेच्छापूर्ण प्रतिवेदन समर्पित करने संबंधी इनका कृत्य सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम 3(1)(i) एवं (ii) के सर्वथा प्रतिकूल है ।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-332, दिनांक 11.01.2018 द्वारा श्री लाल से स्पष्टीकरण की माँग की गई। इसके अनुपालन में श्री लाल के पत्रांक-59(ii), दिनांक 07.02.2020 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसमें इनके द्वारा आरोपों से संबंधित कतिपय साक्ष्य की माँग की गयी ।

मामले की समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-5335(एच०आर०एम०एस०), दिनांक 08.05.2020 द्वारा श्री लाल के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-872, दिनांक 18.12.2020 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। विभागीय जाँच पदाधिकारी श्री लाल के बचाव बयान को स्वीकार करते हुए इनके विरूद्ध प्रपत्र-'क' में गठित आरोप को प्रमाणित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया ।

श्री लाल के विरूद्ध प्रपत्र-'क' में गठित आरोप सं०-4 के संबंध में संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन पर विभागीय पत्रांक-809, दिनांक 05.02.2021 एवं अन्य स्मार पत्रों द्वारा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से मंतव्य की माँग की गयी। उक्त के आलोक में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक-2078, दिनांक 23.06.2022 द्वारा आरोप सं०-4 के संबंध में संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन पर सहमति संसूचित की गई । अतः समीक्षोपरांत, श्री प्यारे लाल, तत्कालीन अंचल अधिकारी, बड़कागाँव, हजारीबाग को आरोप मुक्त किया जाता है ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	PYARE LAL 110021165705	श्री प्यारे लाल, झा०प्र०से० (तृतीय बैच, गृह जिला-रामगढ़), तत्कालीन अंचल अधिकारी, बड़कागाँव हजारीबाग को आरोप मुक्त किया जाता है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री प्यारे लाल, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3601

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 588 – 50